न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 15/2010

श्री सुखदेव बालिग पुत्र स्व0 बज्जा जी जाति रावत आयु 75 साल निवासी गांव मजरा देवपुरा खरवा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

––––––वादी

ब ना म

1– श्री सुनीलसिंह उर्फ सेठू बालिग पुत्र स्व0 माना जी

2– रामदेव उर्फ पूनासिंह बालिग पुत्र पन्ना जी
समस्त जाति रावतान निवासीयान मजरा देवपुरा खरवा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

3– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार मसूदा

4– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर

–––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 2-5-2018

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांक्षत निवेदन किया है, गांव देवपुरा पटवार क्षैत्र खरवा प्रथम तहसील मसूदा जिला–अजमेर में वर्णित आराजी खसरा नंबर 4876 रकबा 02–15–10 किस्म बा03 स्थित है, उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार गेना पुत्र नाथा, प्रभुसिंह, मदनसिंह, पूनासिंह, पिसरान पन्ना, माना पुत्र काना समस्त जाति रावतान निवासी मजरा देवपुरा खातेदार काश्तकार थे किन्तु बाहमी विभाजन में उक्त आराजी 4876 माना पुत्र काना के हक हिस्से में आई थी। उक्त माना पुत्र काना रावत ने वादग्रस्त आराजी को दिनांक 11.07.1988 को वादी को बेचने का लिखित में इकरार किया व वादी से उसी दिन प्रतिफल की रांशि प्राप्त कर ली तथा उक्त भूमि का कब्जा भी वादी को सुपुर्द कर दिया। तब से वादी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग दर्ज चला आ रहा है। वादी द्वारा इकरारनामा की पालना के लिये दीवानी वाद संख्या 61/1999 अजनाम सुखदेवसिंह बनाम माना सिविल न्यायाधीश महोदय, ब्यावर के यहां वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त सिविल न्यायाधीश महोदय ब्यावर ने वादी के हक में दिनांक 15.12.2003 को निर्णित कर प्रतिवादीगण को आदेशित किया कि वादग्रस्त आराजी का विक्रय विलेख वादी के खर्चे से वादी के पक्ष में निष्पादित करा पंजीयन करावे साथ ही यह भी घोषित किया कि प्रतिवादी संख्या 12 बैंक के यहां वादग्रस्त आराजी रहन रखे जाने की कार्यवाही अवेध एव प्रभावशून्य व स्थाई निषेधाज्ञा भी वादी के पक्ष में जारी की उक्त निर्णय व डिक्री पालना में वादी ने दीवानी इजराय संख्या 4 सन् 2005 दायर की सिविल न्यायालय ने वादी के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का बेचाननामा पंजीयन करवाया जाकर असल बेचाननामा वादी को सुपुर्द कर दिया। उक्त बेचाननामा दिनांक 23.8.2006 के अनुसरण में नामान्तकरण संख्या 2217 दिनांक 20.07.2007 वादी के नाम खोल दिया गया जिसका नोट भी जमाबंदी संवत 2058 से 2061 में लगा दिया किन्तु बाद में जो जमाबंदी बनी उसमें वादी के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम भी अंकित कर दिया वह संभवत चूंकि मूल निर्णय व डिक्री में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का ही नाम क्रमशः सेठु व रामेदव ही अंकित था। सुनीलसिंह व पूनासिंह अंकित न होने के कारण राजस्व अभिलेखो में अभी तक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का ही नाम अंकित चला आ रहा है, जबकि सक्षम न्यायालय ने सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का विक्रय विलेख वादी के पक्ष में निष्पादित किया जाकर पंजीयन किया गया था केवलमात्र प्रतिवादीगण के नाम दोनों ही नाम प्रचलन में होने के कारण व राजस्व अभिलेखो में सुनीलसिंह व पूनासिंह अकंन होने के

....................लगातार

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राज0

कारण उनके स्थान पर वादी का नाम अंकित नही हो सका। वादी वादग्रस्त आराजी का सदभाविक क्रेता है, बऐवज बहुमुल्य प्रतिफल व कब्जे मे होने व उसके पक्ष में सक्षम न्यायालय द्धारा विधिवत बेचाननामा निष्पादित व पंजीयन होने के कारण खातेदार काश्तकार है व यह घोषित कराने का अधिकारी है, कि सेठू व सुनीलसिह भी एक ही व्यक्ति है जो कि पन्ना की सन्तान है, व वादी उक्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेखो में अंकित कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से अंतिम मर्तबा दिनांक 12.03.2010 को आग्रह किया कि वे तहसील मसूदा चलकर राजस्व अभिलेखा में संशोधन करने हेतू सहमती दे दी किन्तु उन्होने कोई परवाह नही की व एलानिया धमकी दी कि वे वादग्रस्त आराजी के अपने हिस्से को अन्तरित करके रहेंगे व या जबरन कब्जा करके रहेंगे अतः वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादी को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रेकार्ड से निरस्त किया जाकर वादी का नाम खातेदारी में अंकित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि वादी के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे तथा विवादित भूमि को बेचान हस्तांतरण आदि नही करे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सम्मन तामील होने के भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में एकतरफा साक्ष्य वादी तलब कि गई साक्ष्य वादी में वादी सुखदेव ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी का पेश कर अपने वाद पत्र के कथनो का समावेश करते हुये दावा स्वीकार करने का कथन किया।

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई जिसमें वकील वादी ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये दस्तावेजो का निवेदन करते हुये वादी का वाद स्वीकार करने का कथन किया।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया, बाद अवलोकन वादी द्धारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपी बेचाननामा दिनांक 05.09.2006 के अनुसार विवादित भूमि का बेचाननामा वादी के हक में माननीय सिविल न्यायालय ब्यावर द्धारा प्रतिवादीगण माना वगैरह की और से उपपंजीयक कार्यालय ब्यावर में प्रस्तुत करवाया जाकर वादी के हक में बेचान किया जाना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2003 के अनुसार वादी के हक में विनिर्दिष्ट अनुपालना इकरारनामा बय के अनुसार वादी के हक में विवादित भूमि के विषय में निर्णय व डिक्री पारीत किया जाना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी ग्राम खरवा की जमाबंदी संवत 2058 से 2061 के खाता संख्या 225 अनुसार विवादित खसरा नंबर 4876 का नामान्तकरण संख्या 2217 दिनांक 20.07.2007 के अनुसार वादी के नाम खातेदारी में इन्द्राज होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के अनुसार खसरा नंबर 4876 वादी व प्रतिवादी सुनीलसिंह पि. मानसिंह व पूनासिंह पि. पन्ना के नाम दर्ज होना पाया गया। ऐसी स्थिति में माननीय सिविल न्यायालय ब्यावर द्धारा विवादित भूमि का बेचाननामा वादी के हक में पंजीयन किया जाकर उक्त बेचाननामे के आधार पर वादी के नाम राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जाकर जमाबंदी में इन्द्राज हो जाने के पश्चात बाद की बनी जमाबंदीयो में माना के पुत्र सुनील तथा पन्ना के पुत्र पूनासिंह का नाम त्रुटीवश वादी के नाम के साथ गलत दर्ज होना पाया गया है ।

.....लगातार

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर)

क्योंकि रजिस्ट्री में सेठु पुत्र माना लिखा गया है जबकि सेठु व सुनील एक ही व्यक्ति हैं तथा पुरानी जमाबन्दी में सुनील के नाम का इन्द्राज है। इसी प्रकार रजिस्ट्री में रामदेव पुत्र पन्ना अंकित है जबकि जमाबन्दी में पूनासिंह पुत्र पन्ना अंकित है तथा रामदेव व पूनासिंह एक ही व्यक्ति है। केवल मात्र पन्ना व माना के पुत्रों के नाम में अंतर आ जाने से उनके नाम बाद की जमाबन्दी में दर्ज हुए हैं जो कि गलत हुए हैं। बेचाननामें के आधार पर सम्पूर्ण भूमि का खातेदार अकेला वादी ही है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन के आधार पर व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्वीकार किया जाकर मौजा गांव देवपुरा पटवार क्षैत्र खरवा प्रथम तहसील मसूदा जिला–अजमेर में वर्णित आराजी खसरा नंबर 4876 रकबा 02–15–10 किस्म बा03 सम्पूर्ण भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा तहसीलदार मसूदा को आदेश दिये जाते है, कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम जमाबंदी से विलोपित कर यथानुसार वादी के नाम राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार इन्द्राज किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी पैदा नही करे तथा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नही करे तथा बेचान हस्तांतरण आदि नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/5/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 17:18:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: